



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19879

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 118/2026

बृज पाल सिंह (फायर सर्विस ड्राइवर).....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:कैलाश प्रकाश पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रकाश पांडे और राज्य सरकार के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह बरेली जिले में पुलिस विभाग के अंतर्गत फायर-सर्विस ड्राइवर के पद पर कार्यरत है। रिट याचिकाकर्ता, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बरेली द्वारा दिनांक 29.03.2025 को जारी की गई सूची के अनुसरण में, 10,000/- रुपये के विशेष बोनस/महाकुंभ प्रोत्साहन भत्ते की मांग कर रहा है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा ही निर्णय किया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करें; जिस पर प्रतिवादी संख्या 2, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विधि के पूर्णतः अनुरूप रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

एन0एस0राठौर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”